

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to include Mumbai city also under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं मुम्बई शहर की एक अत्यंत और जटिल समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी के 75 वें साल यानी वर्ष 2022 तक देश के सभी लोगों को पक्का घर देने की घोषणा की और देश भर के सवा करोड़ से अधिक लोगों को इसका अप्रूवल भी दिया, जिसके तहत महाराष्ट्र के साढ़े ग्यारह लाख लोगों को घर देने का अप्रूवल दिया गया।... (व्यवधान)

अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस जी ने वर्ष 2018 में कायदे में बदलाव करके वर्ष 2011 तक जो अपात्र लोग थे, उनको भी घर देने का नियम-कायदा बनाया। केन्द्र सरकार ने सभी को ढाई लाख रुपए देने का वायदा किया और वह दे भी रही है। लेकिन इसके बावजूद, वर्तमान नई सरकार वर्ष 2018 में बदले हुए कानून पर अमल नहीं कर रही है। मैंने मुम्बई शहर में बहुत-से आन्दोलनों के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों से मिला, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी से भी मिला। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी गये, उन्होंने इसका आदेश भी दिया। अब यह विषय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास प्रलम्बित है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि केन्द्र सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करके दिसम्बर, 2021 पूरा होने से पहले और वर्ष 2022 आने के पहले केन्द्र की जो योजना है और प्रधानमंत्री जी का सबको पक्का घर देने का जो

सपना है, वह मुम्बई शहर के लोगों को भी मिले। मैं यह निवेदन करता हूँ।...
(व्यवधान)